कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 (राज्य सरकार का उपक्रम) एस0जी0पी0जी0आई0 कैम्पस, रायबरेली रोड, लखनऊ ।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**019 / 15, 26.05.2015**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 (राज्य सरकार का उपक्रम) एस0जी0पी0जी0आई0 कैम्पस, रायबरेली रोड, लखनऊ द्वारा दिनांक 26.05.2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित प्रश्न का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

क्या उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा उप-संवदिाकारों को भुगतान पर 4% की दर से कटौती कर लेने के पश्चात एस0पी0जी0आई0 एवं यू0पी0टी0यू0 द्वारा भी उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को भुगतान के समय पुन: 4% की दर से कर की कटौती करनी चाहिए ?

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 20.09.2016 के लिए नोटिस भेजी गयी । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ के पत्र संख्या-385, दिनांक 20.06.2015 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-34 (1) के अधीन कर की वसूली, भुगतान, या संग्रहण के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना, द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि किसी विनिर्दिष्ट मामले और विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में, किन्तु ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें विनिर्दिष्ट किया जाये, ऐसे मामलों में, जैसे कि विनिर्दिष्ट किये जाये, माल के विक्रय पर देय मूल्यवान प्रतिफल के कारण दायित्व के निष्पादन के लिए विक्रय करने वाले व्यापारी को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक विनिर्दिष्ट व्यक्ति विक्रेता को चाहे साख द्वारा या नकद रूप में या किसी अन्य रीति से भुगतान करने समय किसी कराधेय माल के विक्रय के कारण व्यवहारों द्वारा देय कर के समाधान के लिए ऐसा भुगतान करते समय ऐसी धनराशि की कटौती करेगा जिसे विनिर्दिष्ट रूप से अवधारित किया गया हो,

'' यहॉ संविदा संकर्म के मामले में ठेकेदार ने उप-ठेका दिया हो और अधिसूचना में यह उपबन्ध हो कि ठेका देने वाले, ठेकेदर को किये जाने वाले भुगतान से धनराशि की कटौती करे तो उप ठेकेदार को की गयी संविदा के अनुसरण में किसी उप ठेकेदार को किये जाने वाले भुगतान या किसी दायित्व के निष्पादन के लिये उत्तरदायी ठेकेदार, उप ठेकेदार को भुगतान करते समय उपनिर्दिष्ट कर की धनराशि की कटौती करेगा । ''

....2

'' अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि जहॉ किसी संविदा संकर्म के मामले में ठेकेदार ने उप ठेकेदार को किये गये भुगतान में से पहले ही कटौती कर ली है तो उस धनराशि में से जिस पर ठेका देने वाले द्वारा ठेकेदार से कटौती की जानी है, ऐसे भुगतान की धनराशि की कटौती कर ली जायेगी। ''

उक्त प्रतिबन्धों के अनुसार यदि मुख्य ठेकेदार द्वारा उप संविदाकार को किये गये भुगतान में से स्रोत पर व्यापार कर मद में कटौती कर ली गयी है तो संविदी द्वारा जब मुख्य संविदाकार को भुगतान किया जायेगा तो स्रोत पर काटी जाने वाली व्यापार कर की धनराशि में से, मुख्य संविदाकार द्वारा उप संविदाकार से जितना टी0डी0एस0 काटकर जमा कराया गया है उस धनराशि के बराबर की राशि, संविदी द्वारा संविदाकार से काटी जाने वाली टी0डी0एस0 की राशि से घटाकर कटौती की जायेगी।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया कि आवेदनकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-34 (1) की व्याख्या के सम्बन्ध में पृच्छा की गयी है वह पृच्छा न होकर अधिनियम के तथ्यों की व्याख्या की अपेक्षा की गयी है जो उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 की परिधि में नहीं आती है इसलिए आवेदनकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया। आवेदनकर्ता द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-34 (1) में उल्लिखित तथ्यों की व्याख्या चाही गयी है जो धारा-59 की परिधि में नहीं आती है इसलिए आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र धारा-59 की परिधि में न आने के कारण ग्राह्य नहीं है।

6. प्रार्थी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 24 अक्टूबर, 2016

ह0 / 24.10.2016

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।